# चिन्तक

संस्थापक- स्व.श्री रामचंद्र गुप्ता
www.dainikchintak.com
facebook.com/dainikchintak.com

छत्तीसगढ का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक

E-mail
dainikchintak @ yahoo.com
dainikchintak @ gmail.com

समाचार पत्र में सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए संपर्क करें
मो. 98271-16751, 91310-34818




स्थापना वर्ष : 1965 | वर्ष 56- अंक -53 R.N.I. No 63636/1995 | दुर्ग बुधवार 5 जनवरी 2022 | पं.क्रं. छ.ग. दुर्ग /07/18-20 | पृष्ठ-8 मूल्य-2.00 रुपये


# हाईटेक अस्पताल को बंद करने कलेक्टर ने दिया आदेश

## कार्यवाही दो साल से बगैर लाइसेंस संचालन पर नहीं, फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं लेने पर हुई

## प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के विरूद्ध हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी




**दुर्ग (चिन्तक)।** नेहरू नगर भिलाई में लाइसेंस के बिना दो साल से संचालित हाईटेक अस्पताल को कलेक्टर ने बंद करने के आदेश दिए है लेकिन यह कार्यवाही लाइसेंस के बगैर दो सल से अस्पताल चलाने के विषय में नहीं बल्कि अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी प्राप्त नहीं करने के एवज में की गई है। वहीं लाइसेंस के बिना हाइटेक अस्पताल प्रशासन की नाक के नीचे अभी भी संचालित है। प्रशासन की इस कार्यवाही से अस्पताल को लाइसेंस के बगैर चलने देने में मिले संरक्षण का प्रमाणिक तौर पर खुलासा हो गया है।

जानकारी के अनुसार नेहरू नगर में 175 बिस्तर वाला हाईटेक अस्पताल 14 दिसंबर 2019 से संचालित है। इस अस्पताल ने अभी तक अपने नाम से लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है। बल्कि डेढ़ वर्ष तक लाइसेंस के बगैर चलाने के बाद हाइटेक अस्पताल ने 19 जुलाई 2021 को लाइसेंस के लिए आवेदन दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर ने लाइसेंस का आवेदन करने के बाद 2 अगस्त 2021 को विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों डॉ. आरके देवांगन, श्रीमती सरिता मिंज, डॉ. आरके खंडेलवाल एवं डॉ. श्रीमती शीतल यादव का संयुक्त जांच दल निरीक्षण के लिए गठित किया। जांच दल ने 15 सितंबर 2021 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाइटेक अस्पताल ने अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी का प्रमाण पत्र नहीं लिया है।

### प्रशासन के संरक्षण की खुली पोल

जिले में स्वास्थ्य से संबंधित अनेक संस्थाओं पर लाइसेंस के बगैर चलाने के मामले में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने आगे आकर कार्यवाही की है और लाइसेंस के बिना चल रही संस्थाओं को सील किया है। लेकिन लाइसेंस के बगैर दो साल से संचालित हाईटेक अस्पताल पर कार्यवाही करने का साहस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग नहीं जुटा पाया। हाईटेक अस्पताल के लाइसेंस के बगैर दो सल से चलने का मामला पिछले एक महीने से सुर्खियों में है लेकिन प्रशासन अपनी इस बड़ी गड़बड़ी पर पर्दा डालने पर लगा हुआ है। जबकि लाइसेंस के बगैर हाईटेक अस्पताल के संचालन के मामले में शिकायतकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर लेनदेन करने का दावा किया है। अस्पताल के लाइसेस के बगैर चलने का मामला उजागर होने के बाद प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की जुगलबंदी भी सामने आई है। डेढ़ साल के बाद अस्पताल द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन करना उसके बाद तीन माह तक निरीक्षण व जांच रिपोर्ट में उलझे रहना, इसके बाद रिपोर्ट आने के बाद भी मामले को फाइलों के भीतर दबाए रखने का काम प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग दोनों ने मिलकर किया है। इसके बाद कार्यवाही भी जिस अंदाज में नाटकीय तरीके से की है वह महज खानापूर्ति से प्रेरित बताई जा रही है। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की कृपा से हाईटेक अस्पातल को कोरोना मरीजों के इलाज की भी अनुमति मिली, जिसमें अधिक बिलिंग पर सर्वाधिक शिकायत हुई है।

### क्या लिखा है आदेश में

जिलाधीश एवं पर्यवेक्षी अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर सिंह भूरे ने 13 दिसंबर को जारी आदेश में कहा है कि संचालक हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड ने नोटिस जारी करेन के एक सप्ताह की अवधि में अग्निशमन विभाग द्वारा फायर एनओसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस परिस्थिति में अस्पताल की सभी ओपीडी एवं आईपीडी सेवाओं को आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया जाता है। पूर्व से भर्ती मरीजों का उपचार जारी रहेगा। अस्पताल प्रबंधन द्वारा नया मरीज नहीं लिया जाएगा। आदेश की अवहेलना करने पर अस्पताल प्रबंधन के विरूद्ध अस्पताल प्रशासन को व्यक्तिगत जवाबदार तथा जिम्मेदार माना जाकर नर्सिंग होम एक्ट में वर्णित प्रावधान के अनुरूप लाइसेंस-अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलंबन, आर्थिक जुर्माना, दण्ड, अस्पताल सीबंद जैसी कार्यवाही की जा सकती है।

### हाईकोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब

कोरोना काल में निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी फीस वसूली को लकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को अगले सप्ताह जवाब देने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण फैलने के दौरान रायपुर व दुर्ग के अस्पतालों ने मरीजों से इलाज के नाम पर लाखों रुपये वसूले हैं। इसमें से एक मरीज का बिल 15 से 20 लाख रुपये बनाया गया। इसके बाद भी कुछ मरीजों की जान नहीं बची जबकि प्रशासन द्वारा बकायदा फीस का निर्धारण कर दिया गया था। अधिक बिलिंग को लेकर प्रशासन अस्पतालों के विरूद्ध कार्यवाही करने से बचता रहा है बल्कि सेटलमेंट करके मामले को खत्म करने में प्रशासन की रुचि ज्यादा रही है लेकिन पीड़ित लोग सही न्याय नहीं मिलने पर ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हुए है। न्यायालय में जाने के बाद ही उन्हें सही न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। पता चला है कि कई लोग इस मामले को लेकर न्यायालय गए हैं। इधर दो साल से लाइसेंस के बगैर हाईटेक अस्पताल के संचालन के मामले में प्रशासन ने जो कार्यवाही की है इसे अनुचित माना गया है। पता चला है कि हाइटेक अस्पताल के इस गंभीर मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।

### स्वास्थ्य सचिव व संचालनालय में मामला पहुंचने पर हुई कार्यवाही

लाइसेंस के बिना दो साल से संचालित हाईटेक अस्पताल के विरूद्ध नाटकीय तरीके से कार्यवाही करने का घटनाक्रम भी बेहद रोचक है। जब यह मामला स्वास्थ्य सचिव डॉ. आलोक शुक्ला तक पहंचा तब उन्हें हैरानी हुई कि लाइसेंस के बगैर अस्पताल कैसे चल सकता है। इसके लिए तो पहले लाइसेंस लेना जरूरी है। उन्होंने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं से तत्काल जानकारी लेने के लिए कहा। स्वास्थ्य संचालक नरज बसोद ने जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर से इसकी जानकारी मांगी तब श्री ठाकुर ने आनन फानन में हाइटेक अस्पताल को एक सप्ताह के भीतर अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी जमा करने की नोटिस जारी की और इसी नोटिस को स्वास्थ्य संचालक को भेज दिया। इसके बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के पास हाईटेक अस्पताल मामले की प्रमाणिक शिकायत की गई और कार्यवाही करने का आदेश जारी हुआ तब प्रशासन ने लाइसेंस के बिना अस्पताल के संचालन की अपनी बड़ी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए हाईटेक अस्पताल को अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी प्राप्त नहीं करेन का आधार बताते हुए बंद करने का आदेश जारी किया।

# राजधानी में प्रभावितों की संख्या बढ़ी, अलर्ट

**खौफ**

- प्रदेश में 1059 कोरोना पॉजिटिव मिले
- बिलासपुर में 2 और रायपुर में 1 की मौत

**रायपुर (चिन्तक)।** मंगलवार को प्रदेश में में 35 हजार 705 नमूनों की जांच हुई। इस बीच 1059 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

सबसे ज्यादा रायपुर जिले में ही 343 केस सामने आए हैं। बिलासपुर में 159, रायगढ़ में 141, दुर्ग में 89 मरीज मिले हैं। कोरिया जिले में 60 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें से दो स्कूलों के 55 बच्चे और 3 शिक्षक भी हैं। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रायपुर, रायगढ़ व राजनांदगांव में नाइट कर्फ्यू के साथ नई गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। इसके चलते राजधानी रायपुर में शिक्षा विभाग विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी के सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। पहली से बारहवीं तक की सभी कक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेगी। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएिशन ने यह फैसला लिया है कि अब सभी स्कूलों का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा।

| | |
|---|---|
| **रायपुर** | एक्टिव-847, कल मिले-343 |
| **बिलासपुर** | एक्टिव-519, कल मिले-152 |
| **रायगढ़** | एक्टिव-494, मिले-141 |
| **राजनांदगांव** | एक्टिव-76, मिले-44 |
| **दुर्ग** | एक्टिव-237, मिले-89 |

### रायपुर में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले

रायपुर में सबसे ज्यादा 343 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 847 है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल से कई डॉक्टर कोरोना की चपेट में आए हैं। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के एक डॉक्टर भी मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रायपुर एम्स में दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए आए कई मरीज पॉजिटिव भी मिले हैं। बीएसएफ17वीं बटालियन के 6 जवान संक्रमित मिले।

### अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश

बिलासपुर में पिछले 24 घंटे में 159 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 519 हो गई है। अपोलो अस्पताल में भर्ती दो बुजुर्ग मरीजों की मौत हो गई है। संक्रमितों में पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश वाजपेयी और उनके परिवार के साथ ही डॉक्टर, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। पिछले 7 दिनों में ये संक्रमित मरीजों के मिलने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में अब कोरोना के कम्यूनिटी स्प्रेड की आशंका जताई गई है। जिले में संक्रमण का दर महज एक सप्ताह के दौरान ही 4.06 फीसदी पहुंच गई है। संक्रमित मरीजों में ज्यादातर ऐसे हैं, जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगवा लिया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर स्वास्थ्य विभाग का अमला भी सकते में आ गया है। ऐसे में कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने सभी सरकारी व निजी कोविड अस्पताल को पूरी तरह से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को भर्ती कर तत्काल उपचार शुरू करने के लिए कहा है।

### नाइट कर्फ्यू के साथ ही स्कूल व कॉलेज बंद

रायगढ़ में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहां 141 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 494 हो गई है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निर्देश जारी किया है। मंगलवार की शाम को नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसके तहत स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, रैली, जुलूस, सामूहिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर मास्क के साथ डिस्टेंसिंग रखनी होगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग हो सकेगी। पुस्तकालय, सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रेस्टोरेंट, होटल में एक तिहाई बैठक क्षमता तक ग्राहक लिए जा सकेंगे। सार्वजनिक जगहों, भीड़, बाजार, दुकानों आदि में मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

### दुर्ग में भी मंडरा रहा कोरोना का खतरा

दुर्ग में 89 संक्रमितों के साथ एक्टिव मरीज 237
मंगलवार को दुर्ग जिले में कोरोना से 90 लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना ने पांच दिन में 5 परिवार के 15 सदस्यों सहित डॉक्टर को भी अपने चपेट में ले लिया है। बैंक कर्मी भी इसकी गिरफ्त में आने से नहीं बच पाए हैं। इनमें आधे से ज्यादा ऐसे हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। संक्रमण दर सभी रिकार्ड तोड़ते हुए 4.6% पहुंच गई है। हर 100 में जिले के 4 व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इधर पांच दिन में जिले में एक्टिव मरीज 437% बढ़ गए हैं। 30 दिसंबर को इनकी संख्या 53 थी, जो मंगलवार तक 237 तक पहुंच गई है।

**हादसा**

# गैस सिलेंडर भरा ट्रक व बस में टक्कर, 15 की मौत

**रांची (एजेंसी)।** बुधवार सुबह झारखंड के पाकुड़ जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक बस व ट्रक की जबर्दस्त टक्कर में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है।

दुर्घटना अमरापाड़ा थाना इलाके के पड़ेर कोला गांव के पास घटी है। यात्रियों से भरी एक बस और ट्रक में सीधी टक्कर हो गयी है। ट्रक में गैस सिलेंडर लदे थे। पुलिस के अनुसार लिट्टीपाड़ा-अमरापाड़ा मुख्य सड़क पर पडेरकोला की समीप निजी बस और सिलेंडरों से भरा ट्रक सामने से टकरा गए। अनियंत्रित ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मृतकों में अधिकांश लोग बस पर सवार हैं। जोर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

आरंभिक सूचना के मुताबिक इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है।

**संवेदना**

# बेटों ने दुत्कारा तो बेटियों ने किया अंतिम संस्कार

### पड़ोसियों की मदद से बेटियों ने बनाई अर्थी

**ओडिशा (एजेंसी)।** ओडिशा के पुरी में चार बेटियों ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। दरअसल अपने दो भाइयों द्वारा अंतिम संस्कार के लिए मना करने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया।

चारों बेटियों ने अपने मां के शव को 4 किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर श्मशान घाट तक पहुंचाया और उनका अंतिम संस्कार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुरी के मंगलाघाट के एक वृद्ध जाति नायक का रविवार को निधन हो गया था। जाति नायक के दो बेटे और चार बेटियां थीं। पड़ोसियों का कहना है कि उनके दोनों बेटों ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया। जिसके बाद उनकी चार बेटियों ने रीति-रिवाज के बंधनों को तोड़ते हुए अपनी मां का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। मां के शव को बेटियों ने घर के बाहर रखा, जिसमें कुछ और पड़ोसियों ने उनकी मदद भी की।

# रिसाली की प्रथम महापौर बनीं शशि

## बंछोर चुने गए सभापति

**रिसाली (चिन्तक)।** दुर्ग जिले के रिसाली में भी कांग्रेस की शहर सरकार बन गई है। पार्षदों ने वार्ड-9 से पार्षद चुनी गईं शशि सिन्हा को शहर की नई मेयर चुन लिया है। इसके साथ ही सभापति पद पर केशव बंछोर निर्वाचित हुए है।

शशि सिन्हा पहली बार जीत कर आई हैं, जबकि केशव तीन बार के पार्षद हैं। इससे पहले निगम के पहले चुनाव में नव निर्वाचित पार्षदों ने बुधवार सुबह अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। निर्वाचन अधिकारी डॉ. एसएन भुरे ने कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पांच-पांच पार्षदों को शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा होने के बाद कांग्रेसी पार्षद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ निकल गए थे। थोड़ी देर बाद लौटे तो मेयर और सभापति पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया गया।

महापौर की चुनाव में भाजपा के 12 पार्षदों में से तीन ने क्रास वोटिंग कर दिया, जिससे सुनंदा पप्पु चन्द्राकर को 4 मत मिले। वहीं अनुभवी पार्षद केशव बंछोर को 27 मत मिले और भाजपा के धर्मेन्द्र भगत 13 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस तरह रिसाली नगर निगम में बुधवार को महापौर व सभापति का चुनाव संपन्न हुआ।